

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 17 मई 2024—वैशाख 27, शक 1946

भाग ४

विषय—सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन	(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद् के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)—कुछ नहीं

भाग ४ (ग)

अंतिम नियम

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 मई 2024

क्र. एफ-7-0003-2024-सात-शा.7.— मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 240 के साथ पठित धारा 258 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (इकसठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (विविध) नियम, 2020, जो अधिनियम की धारा 258 की उप-धारा (3) द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 8 मार्च, 2024 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 73 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किया जाए, अर्थात्:-

"74 राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, 2002 के अधीन अधिसूचित वृक्षों के संबंध में उपबंध.- ऐसे वृक्षों, जो राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, 2002 (क्रमांक 18 सन् 2003) की धारा 38 के उपबंधों के अधीन अधिसूचित हैं, को काटे जाने, गिराए जाने, घेरे जाने या अन्यथा क्षति पहुंचाए जाने के लिए इन नियमों के अधीन कोई अनुज्ञा प्रदान नहीं की जाएगी."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुचिस्मिता सक्सेना, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2024

क्र. एफ-7-0003-2024-सात-शा.7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-7-0003-2024-सात-शा.7, दिनांक 14 मई 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुचिस्मिता सक्सेना, उपसचिव.

Bhopal, the 14th May 2024

No. F-7-0003-2024-VII-Sec.7.- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (1xi) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 240 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Bhu-Rajaswa Sanhita (Vividh) Niyam, 2020, the same having been previously in the Madhya Pradesh Gazette, dated 8th March, 2024 as required by sub-section (3) of Section 258 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules, after rule 73, the following rule shall be inserted namely :-

"74 Provisions regarding trees notified under the National Biological Diversity Act, 2002.- No permission shall be granted for cutting, felling, girding or otherwise damaging such trees which are notified under the provisions of section 38 of the National Biological Diversity Act, 2002 (No. 18 of 2003), under these Rules."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUCHISMITA SAXENA, Dy. Secy.